लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं .*156
10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पटसन मिलों का बंद होना

***156. प्रो. सौगत राय:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कारणों से बंद हुई पटसन मिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पटसन मिलों के बंद होने के कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में मौजूदा पटसन मिलों के कार्यशील बने रहने के लिए पर्याप्त कच्चा माल सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का पटसन मिलों के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में अपनी आजीविका गंवाने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रो सौगत राय द्वारा 'पटसन मिलों का बंद होना' के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *156 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जूट मिलों के बंद होने का ब्योरा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 , के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य सरकार को दिया जाता है। जूट मिलें राज्य सरकार को सूचना के बाद जूट आयुक्त कार्यालय को सूचित करती हैं ताकि उनको जूट बैग उत्पादन के आदेश न दिए जाए। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947, के प्रावधानों के तहत विगत 3 वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कारणों से बंद हुए पटसन मिलें जिन्होंने जूट आयुक्त कार्यालय को सूचित किया है, उनका ब्योरा अनुलग्नक-I पर संलग्न है। मिल के बंद होने का मुख्य कारण कंपनी के प्रबंधन की समस्याएं है।

(ग) और (घ): सरकार स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर के जरिए पटसन मिलों को कच्ची पटसन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करती है और राज्य पुलिस (एनफोर्समेंट ब्रांच) के अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर को लागू करने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करती है। इसके अलावा, पटसन आयुक्त का कार्यालय सर्च और सीज़र ऑपरेशन भी करता है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत श्रमिकों के पुनर्वास की मुख्यता जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

अनुलग्नक-I

प्रोसौगत राय द्वारा . 'पटसन मिलों का बंद होना' के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *156 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बंद घोषित की गई मिलें/ मिल

क्र.सं.	बंद मिल	राज्य
1	महाबीर जूट मिल लिमिटेड	उत्तर प्रदेश

*****